सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **2014/163** दायर दिनांक **28.08.2014**

वादी		प्रतिवादीगण
1 भवानीसिंह पुत्र सज्जनसिंह 2 संग्रामसिंह पुत्र सज्जनसिंह 3 सज्जनसिंह पुत्र छोटूसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण रसीदपुरा तहसिल डीडवाना जिला नागौर राज.	बनाम्	1. श्रवण सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह 2. सुरेन्द सिंह पुत्र श्री अमर सिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण रसीदपुरा तहसिल डीडवाना जिला नागौर राज. 3. रामुराम पुत्र जेसाराम 4. भुराराम पुत्र जेसाराम 5. नानूराम पुत्र जेसाराम समस्त जाति जाट निवासीगण रसीदपुरा तहसिल डीडवाना जिला नागौर राज. 6. शिम्भूसिंह पुत्र श्री किशनसिंह 7. जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री किशनसिंह 8. प्रकाश कंवर पुत्री श्री किशनसिंह 9. श्रीमति सायर कंवर बैवा किशन सिंह 10. मोहन सिंह पुत्र गंगासिंह 11. टमरसिंह पुत्र श्री दोलतसिंह 12. विक्रमसिंह पुत्र श्री दोलतसिंह 13. भंवरकवर बैवा दोलतसिंह 14. प्रेमसिंह पुत्र श्री मगनसिंह 15. ओंकार सिंह पुत्र श्री रामदर सिंह 16. रघुविरसिंह पुत्र श्री मोती सिंह 17. कल्याणसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह 18. भगवानसिंह पुत्र श्री सुमेरसिंह 19. नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री बदनसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण रसीदपुरा तह. डीडवाना जिला नागौर राज. 20. सरपंच ग्राम पंचायत रसीदपुरा 21. हेमन्तसिंह पुत्र श्री सुरेन्द्रसिंह 22. चन्द्रभानसिंह पुत्र श्री सुरेन्द्रसिंह 23. श्रमति कृष्णाकंवर बैवा श्री सुरेन्द्रसिंह 24. भंवरसिंह पुत्र श्रीगौरसिंह 25. रतनीदेवी पत्नी श्रीबोदुलाल 26. अमरसिंह पुत्र श्री मूलसिंह 27. श्रवणसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण रसीदपुरा तह. डीडवाना जिला नागौर राज. 28. रामकरण पुत्र श्रीमोहनलाल 29. गोविन्दलाल पुत्र श्री मोहनलाल समस्त जाति स्वामी निवासीगण रसीदपुरा तह. डीडवाना जिला नागौर राज. 30. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहनसिंह 31. मोतीसिंह पुत्र श्री सुमेरसिंह 32. रघुविर सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		समस्त जाति राजपुत निवासीगण रसीदपुरा तह. डीडवाना जिला नागौर राज. 33. तहसिलदार डीडवाना 34. नायब तहसिलदार (उप पंजीयन अधिकारी) मौलासर

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा – 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः– पक्षकारान

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनांक 29.05.2017

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वाके शरहद लादडिया खेत खसरा नं. 324 रकबा 29 बीघा 14 बीस्वा भूमि रामूराम, भूराराम, नानूराम, स्व. देवाराम पिसरान जैसाराम जाट के नाम थी। जिन्होंने उक्त भूमि में से 03 बिघा 03 बिस्वा भूमि स्व. किशनसिंह पुत्र श्री मगनसिंह को बैचाण कर दी। उक्त भूमि वादग्रस्त खसरान में पूर्वि व दक्षिणी कोने पर अवस्थित हैं। जहां अभी स्व. किशनसिंह के वारिसान शिम्भूसिंह, प्रकाशकंवर व श्रीमति सायरकंवर काबिज है। जहां वर्तमान में स्व. किशन सिंह का परिवार निवास कर रहा है।

वादी सज्जनसिंह ने तत्कालिन खातेदार रामूराम, भूराराम, नानूराम व देवाराम पिसरान जैसाराम से खसरा नं. 324 रकबा 29 बीघा 14 बीस्वा में से 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि दिंनाक 01.01.1997 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद की, जो भूमि पश्चिमी व दक्षिणी कोने पर अवस्थित है। विक्रय पत्र दिंनाक 01.01.1997 की छाया प्रति वाद के साथ प्रस्तुत है।

उक्त खसरा नं. 324 रकबा 29 बीघा 14 बिस्वा में से 06 बीघा 15 बिस्वा तत्कालिन खातेदारान रामूराम, भूराराम, नानूराम व देवाराम पिसरान जैसाराम से दिंनाक 29.02.2000 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादीण भवानीसिंह व संग्रमसिंह ने सम्पुर्ण रकम अदा कर निम्न पडौस मध्य पूर्व में खुद विकेता, पश्चिम में पूराराम, जोधाराम मेघवाल लादडिया, उत्तर में लाखाराम मेघवाल व पानी की टंकी तथा दक्षिण में भंवरसिंह केता व विकेता से खरीद कर कब्जा भी उसी दिन प्राप्त कर लिया। एवं राजस्व रेकार्ड में वादीगण भवानीसिंह व संग्रामसिंह का नाम दर्ज हो गया। जहां आज दिनांक तक वादीगण का कब्जा व आधिपत्य है।

विक्रय पत्र दिनांक 29.02.2000 की छाया प्रति एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ पेश है। नजरी नक्शा अनुसुचि "अ" में दर्ज मार्क ए बी सी डी इ एफ जी एच की भूमि वादीगण भवानीसिंह व संग्रामसिंह द्वारा तत्कालिन खातेदारान रामुराम, भूराराम, नानूराम, देवाराम पुत्रगण जैसाराम से खरीद सुदा है तथा उक्त भूमि के पडौस भी दर्ज किये गये थे तथा उक्त भूमि पर ही वर्तमान समय में भी वादीगण भवानीसिंह व संग्रामसिंह काबिज है। उक्त वादीगण की खरीद सुदा भूमि का रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा है। जिसमे से 4000 वर्ग मीटर भूमि वादीगण भवानीसिंह व सग्रामसिंह ने आवासीय प्रयोजनार्थ उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा संपरिवर्तन आदेश दिनांक 26.06.2004 को करवा ली। जिस भूमि को वादीगण ने नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी इ एफ जी एच जे से दर्शाया गई है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के याथ पेश की है। जो राजस्व रिकर्ड में भी दर्ज है। नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी इ एफ जी एच के एल एम की भूमि रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि वादी सज्जनसिंह के कब्जे व आधिपत्य की है। उक्त हिस्सा पर वादी सज्जनसिंह दिनांक 01.01.1997 से काबिज है। मगर उक्त भूमि में से वादी सज्जनसिंह ने अपने हिस्से में से रघुविरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह को 6000 वर्गफुट भूमि का रजिस्टर्ड बेचाण कर दिया , जहां रघुविरसिंह वर्तमान में काबिज है, राजस्व रिकर्ड में नाम नही है।

प्रार्थना वादीगण यह है कि वाके शरहद लादडिया खेत खसरा नं. 324 रकबा 29 बीघा 14 बिस्वा में से वादीगण भवानीसिंह व संग्रामसिंह की खरीद सुदा भूमि 6 बीघा 15 बिस्वा में से 4000 वर्गफुट भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ छोड कर नक्शे मे मार्क ए बी सी डी इ एफ जी एच के एल एम की भूमि का विधिवत बंटवारा कर वादीगण के कब्जे को ध्यान में रखते हुए बंटवारा कर अलग राजस्व रेकर्ड में घोषित की जावें तथा वादी सज्जनसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में एच के एल एम की भूमि में से रघुविरसिंह के कब्जे की भूमि 6000 वर्गफुट कम कर बंटवारा कर राजस्व रेकर्ड में घोषित की जावें।

पक्षकारान आज मजमें आम न्याय आपके द्वार कैम्प लादडिया में उपस्थित हुए। पक्षकारान विधिवत बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाना चाहते है। पक्षकारान प्राथमिक डिक्री किये जाने पर सहमत है।

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार सरहद डाकीपुरा के विवादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार है।

अतः वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

हस्ब दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर सरहद लादडिया के खेत खसरा सं0 324 रकबा 29 बीघा 14 बिस्वा आराजी उपर्युक्त का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा कर विभाजन प्रस्तावित करने बाबत भूमिधारी (तहसीलदार) डीडवाना को आदेशित किया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक **29.05.2017** को न्याय आपके द्वार कैम्प लादडिया में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **163/2014** दायर दिनाँक **28.08.2018**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. भवानीसिंह पुत्र सज्जनसिंह, उम्र–40साल, 2. संग्रामसिंह पुत्र सज्जनसिंह, उम्र–38साल, 3. सज्जनसिंह पुत्र छोटुसिंह, उम्र–67साल, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रवणसिंह पुत्र प्रेमसिंह, 2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. रामूराम पुत्र जेसाराम, 4. भूराराम पुत्र जेसाराम, 5. नानूराम पुत्र जेसाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. शिम्भूसिंह पुत्र किशनसिंह, 7. जितेन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह, 8. प्रकाशकँवर पुत्री किशनसिंह, 9. सायरकँवर पत्नी किशनसिंह, 10. मोहनसिंह पुत्र गंगासिंह, 11. अमरसिंह पुत्र दोलतसिंह, 12. विक्रमसिंह पुत्र दोलतसिंह, 13. भँवरकँवर पत्नी दोलतसिंह, 14. प्रेमसिंह पुत्र मगनसिंह, 15. ओंकारसिंह पुत्र समदरसिंह, 16. रघुवीरसिंह पुत्र मोतीसिंह, 17. कल्याणसिंह पुत्र नरपतसिंह, 18. भगवानसिंह पुत्र सुमेरसिंह, 19. नरेन्द्रसिंह पुत्र बदनसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 20. सरपंच, ग्रामपंचायत रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 21. हेमन्तसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह, 22. चन्द्रभानसिंह पुत्र

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 163 / 2014
दायर दिनाँक 28.08.2018, निर्णय दिनाँक 06.03.2018
भवानीसिंह, वगैरा बनाम् श्रवणसिंह, वगैरा।

		सुरेन्द्रसिंह, 23. कृष्णाकँवर पत्नी सुरेन्द्रसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 24. भँवरसिंह पुत्र गौरसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 25. रतनीदेवी पत्नी बोदूराम, जाति–साद, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 26. अमरसिंह पुत्र मूलसिंह, 27. श्रवणसिंह पुत्र मोतीसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 28. रामकरण पुत्र मोहनलाल, 29. गोविन्दलाल पुत्र मोहनलाल, समस्त,जाति–स्वामी, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 30. राजेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह, 31. मोतीसिंह पुत्र सुमेरसिंह, 32. रघुवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 33. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 34. नायब तहसीलदार मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 163/2014
दायर दिनाँक 28.08.2018, निर्णय दिनाँक 06.03.2018
भवानीसिंह, वगैरा बनाम् श्रवणसिंह, वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188, R.T.Act.
में काउण्टर क्लेम

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील, वादीगण।
2. श्री मोहम्मद इकबाल, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से।
3. श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 21 ता 23 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 06.03.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद लादड़िया में खेत खसरा नम्बर 324 रकबा 29.14 बीघा भूमि रामूराम, भूरामराम, नानूराम व स्वर्गीय देवाराम पिसरान जेसाराम के नाम थी। उक्त भूमि में से रकबा 03.03 बीघा भूमि स्वर्गीय किशनसिंह पुत्र मगनसिंह को बैचाण कर दी। उक्त भूमि वादग्रस्त खसरान् में पूर्वी व दक्षिणी कौने पर स्थित है जहाँ स्वर्गीय किशनसिंह के वारिशान् शिम्भूसिंह, जितेन्द्रसिंह, प्रकाशकँवर व सायरकँवर काबिज है जहाँ वर्तमान स्वर्गीय किशनसिंह का परिवार निपास कर रहा है।

अनुतोष वादीगण है कि–

भवानीसिंह व संग्रामसिंह की खरीदसुदा भूमि रकबा 06.15 बीघा में से 4000 वर्गफीट भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ छोड़कर नक्शा में मार्क आई जे एन एफ ओ पी एम एच भूमि का विधिवत् बन्टवारा कर वादीगण के कब्जा को ध्यान में रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अलग घोषित की जावे तथा वादी सज्जनसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में एच के एल एम की भूमि में से रघुवीरसिंह के कब्जे कर भूमि 6000 वर्गफीट कम कर राजस्व रिकॉर्ड में घोषित की जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 06, 09, 20, 24, 31, 33, 34 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत लादड़िया में प्रकरण में प्राथमिक निर्णय दिनाँक 29.05.2017 को किया गया। वाद को जरिये राजीनामा के दिनाँक 20.02.2018 को दावा विड्रोल (खारिज) किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 21 ता 23 ने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया। उक्त काउण्टर क्लेम में खेत खसरा नम्बर 324 रकबा 29.14 बीघा में से प्रतिवादीगण संख्या 21 ता 23 के पिता/पति स्वर्गीय सुरेन्द्रसिह द्वारा रकबा 06.88 बिस्वा यानि कि 6000 वर्गफीट जरिये

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **163/2014** दायर दिनाँक **28.08.2018**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. भवानीसिंह पुत्र सज्जनसिंह, उम्र–40साल, 2. संग्रामसिंह पुत्र सज्जनसिंह, उम्र–38साल, 3. सज्जनसिंह पुत्र छोटुसिंह, उम्र–67साल, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रवणसिंह पुत्र प्रेमसिंह, 2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. रामूराम पुत्र जेसाराम, 4. भूराराम पुत्र जेसाराम, 5. नानूराम पुत्र जेसाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. शिम्भूसिंह पुत्र किशनसिंह, 7. जितेन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह, 8. प्रकाशकँवर पुत्री किशनसिंह, 9. सायरकँवर पत्नी किशनसिंह, 10. मोहनसिंह पुत्र गंगासिंह, 11. अमरसिंह पुत्र दोलतसिंह, 12. विक्रमसिंह पुत्र दोलतसिंह, 13. भँवरकँवर पत्नी दोलतसिंह, 14. प्रेमसिंह पुत्र मगनसिंह, 15. ओंकारसिंह पुत्र समदरसिंह, 16. रघुवीरसिंह पुत्र मोतीसिंह, 17. कल्याणसिंह पुत्र नरपतसिंह, 18. भगवानसिंह पुत्र सुमेरसिंह, 19. नरेन्द्रसिंह पुत्र बदनसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 20. सरपंच, ग्रामपंचायत रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 21. हेमन्तसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह, 22. चन्द्रभानसिंह पुत्र

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

		सुरेन्द्रसिंह, 23. कृष्णाकँवर पत्नी सुरेन्द्रसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 24. भँवरसिंह पुत्र गौरसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 25. रतनीदेवी पत्नी बोदूराम, जाति–साद, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 26. अमरसिंह पुत्र मूलसिंह, 27. श्रवणसिंह पुत्र मोतीसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 28. रामकरण पुत्र मोहनलाल, 29. गोविन्दलाल पुत्र मोहनलाल, समस्त,जाति–स्वामी, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 30. राजेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह, 31. मोतीसिंह पुत्र सुमेरसिंह, 32. रघुवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 33. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 34. नायब तहसीलदार मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188, R.T.Act.
में काउण्टर क्लेम

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दिनाँक 06.03.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील, वादीगण व श्री मोहम्मद इकबाल, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 व श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 21 ता 23 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा काउण्टर क्लेम शरहद लादड़िया में खेत खसरा नम्बर 324 रकबा 29.14 बीघा में से रकब "06.18 बिस्वा" जो वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 21 ता 23 के पिता/पति के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, के स्थान पर रकबा "06.88 बिस्वा" दुरस्त किया जाकर इस रकबे की भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 21 ता 23 को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 20 व 24 ता 34 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण संख्या 21 ता 23 के हिस्से की आदेश वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे तथा न किसी अन्य से करावें।

नीज..........—.......... मुबलिंग...........—.............. बाबत.................
....—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.03.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–163–2014 / रीडर / 2018 / दिनाँक

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188, R.T.Act.
में काउण्टर क्लेम

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. भवानीसिंह पुत्र सज्जनसिंह, उम्र–40साल, जाति–राजपूत, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।	बनाम्	1. श्रवणसिंह पुत्र प्रेमसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–रसीदपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner